



Neutral Citation No.-2026:AHC:64123

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9918 वर्ष 2026**

अंबरीश मिश्रा

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : रितेश कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

**न्यायालय संख्या - 69**

**माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश कुमार सिंह, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान ए.जी.ए. श्री उमा शंकर मिश्रा, को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत याचिका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत, आवेदक अंबरीश मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 32/2025, धारा 318(4), 336, 338, 340 (2) बीएनएस और आयकर अधिनियम की धारा 66 सी, 66 डी के तहत, जो थाना साइबर अपराध, जिला मुजफ्फर नगर में पंजीकृत किया गया है, में परीक्षण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



रिपोर्ट किसी अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई थी और आवेदक के साथ कोई मौद्रिक लेन-देन नहीं हुआ है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जांच के दौरान दिशा मानव कल्याण उत्थान समिति के अध्यक्ष और सचिव ने पुलिस के समक्ष कहा है कि आवेदक ने उनसे संपर्क किया था और कहा था कि उनके साथ कुछ मौद्रिक लेनदेन होगा और वह उनसे कुछ कमीशन एकत्र करेगा। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि संगठन के उक्त अध्यक्ष और सचिव को अभियुक्त नहीं बनाया गया है और वर्तमान मामले में आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त राहुल खेतान, जिसके खाते में 1,50,000/- रुपये जमा किए गए हैं, को इस न्यायालय द्वारा पहले ही आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1666/2026 बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के तहत दिनांक 19.2.2026 को पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दे दिया गया है। आवेदक, जो 14.12.2025 से जेल में बंद है, ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में भारी संख्या में मुकदमों की लंबितता के मद्देनजर, परीक्षण के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई थी और आवेदक के साथ कोई मौद्रिक लेन-देन नहीं हुआ है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जांच के दौरान दिशा मानव कल्याण उत्थान समिति के अध्यक्ष और सचिव ने पुलिस के समक्ष कहा है कि आवेदक ने उनसे संपर्क किया था और कहा था कि उनके साथ कुछ मौद्रिक लेनदेन होगा और वह उनसे कुछ कमीशन एकत्र करेगा। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि संगठन के उक्त अध्यक्ष और सचिव को अभियुक्त नहीं बनाया गया है और वर्तमान मामले में आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त राहुल खेतान, जिसके खाते में 1,50,000/- रुपये जमा किए गए हैं, को इस न्यायालय द्वारा पहले ही आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1666/2026 बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के तहत दिनांक



19.2.2026 को पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दे दिया गया है। आवेदक, जो 14.12.2025 से जेल में बंद है।

6. सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि जमानत के लिए यह एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

7. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक-अंबरीश मिश्रा को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत अनुबंध और उतनी ही राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाय : -

(1) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ हस्तक्षेप किया जा सके।

(2) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(3) आवेदक, व्यक्तिगत रूप से, विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले को शुरू करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहेगा।

(4) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(5) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, विचारण न्यायालय साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

मार्च 24, 2026

कुमार मनीष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।